

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010031472026



प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या-255/12/2026

श्रीमती केतकी

बनाम

नितिन कश्यप आदि ।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना हरदी, जनपद बहराइच।

16.07.2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार करायी गयी। आवेदिका की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदिका पिछले कई तारीखों से उपस्थित नहीं आ रही है। आज भी प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए आवेदिका अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, बहराइच।